

14/8/24

पनावली पेस हुई। वकील उलमपक्ष डफर
 आर्मेना फन कन्वर्त धारा
 151 जा 30 का जवाब पेस नहीं कर आर्मेना
 फन पर सीमा बध्म करनी चाही। आर्मेना फन
 कन्वर्त धारा 151 जा 30 एवं फन आर्मेना
 फन कार्रवाई निषेधारा पर उलमपक्ष वकील
 बध्म सुनी। बसत लाइभ डि 1618124 को
 पेस हो।

उपखण्ड अधिकारी
 बांदीकुई

16/6/24

पनावली पेस हुई। वकील उलमपक्ष डफर
 आर्मेना फन कन्वर्त धारा - 151 जा 30 पर
 उलमपक्ष वकील बध्म पर मनन किया। आर्मेना
 फन व पनावली का आवलोकन किया गया।
 उलमपक्ष वकील बध्म पर मनन करने एवं
 आर्मेना फन व पनावली के आवलोकन के कार्रवार पर
 आर्मेना फन कन्वर्त धारा - 151 जा 30
 करके किया जाना उचित तरीत नहीं होगा।
 (कर: आर्मेना फन कन्वर्त धारा - 151
 जा 30 कोषणीय नहीं होने से खारिज किया
 जा रहा है) आर्मेना फन कार्रवाई निषेधारा पर
 उलमपक्ष वकील बध्म पर मनन किया। आर्मेना
 फन कार्रवाई निषेधारा व जवाब आर्मेना फन में
 वर्णित तथ्यों एवं पनावली का आवलोकन किया
 गया। मूलवाड को बांधेना खेतदारी, इलाक
 दुकानरी एवं कार्रवाई निषेधारा का ही मूलवाड

उपखण्ड

उ विधवा का 20
 पडमर का 20 का 20
 मीका व रिमाई की बभा
 हेतु परिवर्धित किया जाना
 कर: बध्म उलमपक्ष वकील
 एवं पनावली के आवलोकन
 प्रकरण में जारी आंतरि
 क्रिडि दिनांक: 06-08-
 मूलवाड कन्वर्त किया
 कैसलभुमार होकर काड
 मूलवाड रहे।

उपखण्ड अधिकारी
 बांदीकुई

क्र.सं. 175/2024

प.इ. जेरेड सिंह बनाम रामधर सिंह का
दुकम या कार्यवाही मय इमिडियेटस जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
दुकम की तामील
में जारी हुए

के विधिकत निस्तारण तक अध्यागिण को
कॉस्ट ऑफ का रहन, बच नहीं करने एवं
मौका व रिमांड की व्यवस्था के नाम से खर्च
हेतु संबंधित डिमांड का उचित पटीत धरा है।
अतः बचत इलाज पर मंजूर करने
एवं पत्रावली के आवेदन के आधार पर
प्रकरण में जारी कौन्सिल का अध्यागिण निवेदन।
क्र.सं. दिनांक: 06-08-2024 को लाफिसला
मूलवाद बन्धन किमा छाता है। पत्रावली
क्र.सं. नुमांर होकर वाद तकमील हमफिल
मूलवाद रहे।

24.6.16.8.24

उपखण्ड अधिकारी

बादीकुई